

पत्र संख्या : 7ब/4701 योजना जल सं०-01/2012 292

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता हजारीबाग;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 21-3-13

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में व्यय हेतु निधि का आवंटन।


महाशय,


वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अंतर्गत परिशिष्ट-1 में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को परिशिष्ट-2 में वर्णित कार्यों पर व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-


क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रु० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय, उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं संथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व,	05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, विपत्र कोड 49P470180800710545	0.00



शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष 2012-13 के संशोधित बजट उपबंध रु० 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) मात्र के अंतर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट 2 पर वर्णित कार्यों के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।


(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता


(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि०)


(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)


(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव


7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 28 मार्च 2013 तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

242

रॉची, दिनांक :- 21-03-13

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिनू रॉची/कोषागार

पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/हजारीबाग सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :-

242

रॉची, दिनांक :- 21-03-13

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/सचिव योजना एवं

विकास विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख-I एवं II जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पाँच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

विभागीय पत्रांक 242

दिनांक 21-03-13

का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मोंग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिय्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष -800-अन्य व्यय,

उप शीर्ष -71-छोटानागपुर एवं सथाल परगना सिंचाई परियोजना अंतर्गत 11-12 में पूर्ण होने वाले योजनाओं का अवशेष कार्यक्रम दायित्व

विरस्तुत शीर्ष-05-निर्माण, 45 मुख्य निर्माण कार्य, 49P470180800710545

वित्तीय वर्ष 2012-13 में बजट उपबंध 1500.00 लाख (पन्द्रह करोड़) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	प्रशासनिक स्वीकृति का प्रसंग	मार्च 2012 तक का व्यय	शीर्षान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	शुद्ध आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जलपथ प्रमण्डल, बरही	हजारीबाग	पंचखेरो जलाशय योजना	7568.97	25 / 07-08 प्र०स्वी० दि०-23.08.07	6070.01	816.28183	0.00000	816.28183	अतिरिक्त आवंटन परिशिष्ट-2, में वर्णित कार्यो हेतु
कुल योग							816.28183	0.00000	816.28183	
शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र।										

MSK
(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

ES
(जयप्रकाश महाचार्य)
उप सचिव (अभि०)

MSK
(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि०)

MS
(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

MS
(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

पत्रांक :- २५२

दिनांक २१-०३-१३

का अनुलग्नक

परिशिष्ट - 2

विपत्र कोड : 49P470180800710545										(राशि लाख ₹ में)				
क्र.	प्रमंडल का नाम	योजना का नाम	कार्य का विवरण	एकरारनामा सं०/ तिथि	पूर्व का आवंटन	प्रत्यर्पण	अतिरिक्त आवंटन	शुद्ध अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति				
1	जलपथ प्रमण्डल, बरही	पंचखेरो जलाशय योजना	चालू कार्य											
			i	Construction of Aqueduct at ch. 11.00 of LMC of Panchkhero Res. Scheme		0.00000	0.00000	35.00000	35.00000	35.00000				
			ii	Residual work of Dam Outlet (Left) at 1488.0 M		3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.00000				
			iii.	Const. of Guard wall over spillay		0.65000	0.00000	0.00000	0.00000	0.65000				
			iv	Const. of C.D at Ch. 4.00 of L.M.C.		8.35000	0.00000	0.00000	0.00000	8.35000				
			v	Residual work of from Ch. 0.50 to Ch. 20.50 of RMC.		5.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.00000				
			vi	Annual Repair and maintenance of IB at Marckacho, Barhi & Hazaribag		3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.00000				
			Total		20.00000	0.00000	35.00000	35.00000	55.00000					
			नये कार्य											
			i	Construcation of Escape in RMC & LMC	2F2/12-13	6.83600	0.00000	0.00000	0.00000	6.83600				
			ii	Construction of Outlet in LMC		11.31600	0.00000	0.00000	0.00000	11.31600				
			iii.	Construction of DLR bridge at Ch. 75.70 of RMC		10.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.00000				
			Total		28.15200	0.00000	0.00000	0.00000	28.15200					
			चालू कार्य											
				Head Works-										
			i	River Closure (1200.00 M to 1370 M) with Construction of Coffor Dam	SBD-01/11-12	512.00000	0.00000	35.75834	35.75834	547.75834				
			ii.	Residual work of Earthen Dam from 1370.00 to 2182.00 M and left dyke O to 254 M	03F2/05-06	50.00000	0.00000	0.00000	0.00000	50.00000				
			iii.	Residual work of Spill Channel	01F2/07-08	100.00000	70.75834	0.00000	-70.75834	29.24166				
			iv	Distribution System (Main Canal) - Earth work from ch. 0.000 to ch. 20.00 of LMC	05F2/05-06	1.10000	0.00000	0.00000	0.00000	1.10000				
			v	Residual earth work from ch. 20.00 to ch. 45.47 of LMC	21F2/09-10	2.33000	0.00000	0.00000	0.00000	2.33000				
			vi	Residual earth work from ch.45.47 to ch. 109.47 of LMC	01F2/09-10	1.51000	0.00000	0.00000	0.00000	1.51000				
			vii	Residual earth work from ch.133.77 to ch. 172.00 of LMC	09F2/07-08	3.19000	0.00000	0.00000	0.00000	3.19000				
			viii	Construction of H/R-cum-C/R	10F2/07-08	3.30000	0.00000	0.00000	0.00000	3.30000				
			ix	Residual earth work from ch. 20.50 to ch. 45.10 of RMC	02F2/02-03	1.18000	0.00000	0.00000	0.00000	1.18000				
			x	Construction of CD at ch. 29.50 & 41.00 of RMC	14F2/02-03	1.77000	0.00000	0.00000	0.00000	1.77000				
			Total		676.38000	70.75834	35.75834	-35.00000	641.38000					
			नये कार्य											
			I	A-Preliminary		2.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.00000				
				Head Work -		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000				
			i	Cleaning Hume Pipe, stilling basin thrash rack of right and left outlet.		1.50000	0.00000	0.00000	0.00000	1.50000				
			ii.	Constructionn of 2 Nos. Ramp, 2 Nos. Culvert and Road over Ramp.		20.81000	0.00000	0.00000	0.00000	20.81000				
			iii.	Inspection vehicle		3.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.00000				
			Total		27.31000	0.00000	0.00000	0.00000	27.31000					
			न्याय निर्णय से संबंधित कार्य											
			I	भू-अर्जवाद नं.-273/09 से 337/09 में दिनांक 30.04.2011 को पारित न्याय निर्णय एवं न्यायालय पंचाट के अनुसार घोषित एवार्ड की राशि के भुगतान हेतु।		64.43983	0.00000	0.00000	0.00000	64.43983				
			Total		64.43983	0.00000	0.00000	0.00000	64.43983					
			G. Total		816.28183	70.75834	70.75834	0.00000	816.28183					
			शुद्ध आवंटित राशि - ₹ शून्य मात्र।											

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि.)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि.)

(बी. सी. निगम)
विशेष सचिव

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव